

## श्रम विभाग, हरियाणा

30 बेज बिल्डिंग, सैक्टर—17सी, चण्डीगढ़, दूरमाश—0172-2701373 Email-labourcommissionerhry@nic.in and hrylabour@gmail.com



प्रेषक

श्रम आयुक्त, हरियाणा।

सेवा में

- 1. अतिरिक्त श्रम आयुक्त (एन०सी०आर०), गुरुग्राम।
- 2. सभी उप श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
- 3. सभी सहायक श्रम आयुक्त, हरियाणा राज्य।
- 4. सभी श्रम निरीक्षक, हरियाणा राज्य।
- कल्याण अधिकारी (महिला) फरीदाबाद एवं पानीपत।

कमांकः आई०आर०-2/2023/22979-23109 दिनांक:- 28/08/23

विषय:- हरियाणा राज्य में दिनांक <u>01-07-2023 से न्यूनतम वेतन में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के</u> आधार पर हुई बढोतरी बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

हरियाणा सरकार की अधिसूचना दिनांक 21—10—2015 में वर्णित मिन्न—भिन्न रोज़गारों में दिनांक 01—07—2023 से न्यूनतम वेतन पुनः निर्धारित किए गए हैं। यह निर्धारण कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों में बढ़त/घटत के आधार पर प्रत्येक छः मास अर्थात वर्ष में दो बार जनवरी व जुलाई माह में हरियाणा कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़ों के आधार पर न्यूनतम वेतन में बढ़त/घटत होती है। इस अनुसार दिसम्बर, 2022 के अन्त तक औसत कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक अंक 3130.10 थे, जो कि अगले छः मास अर्थात जून, 2023 तक बढ़कर 3183.0 हो गये है। इस आधार पर कुल कामगार ज़पभोक्ता मूल्य सूचकांक में 52.90 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। दिनांक 21.10.2015 को जारी और 01 नवम्बर, 2015 से लागू अधिसूचना के अनुसार यथाअनुपात आधार पर सी0पी0आई0 संख्या में वृद्धि या गिरावट का 100 प्रतिशत न्यूटरलाईजेशन है।

तदानुसार, न्यूनतम वेतन अधिनियम की धारा 5(2) के अनुसार श्रमिकों की विभिन्न श्रेणियों और अधिसूचित रोजगारों में (अधिसूचना दिनांक 21.10.2015) के अनुसार में कार्यरत श्रमिकों के मूल वेतन में 1.69 प्रतिशत की वृद्धि निर्धारित की गई है। इस प्रकार अब दिनांक 01.07.2023 से हरियाणा राज्य में न्यूनतम वेतन दरें अगले पृष्ठ से निम्न अनुसार देय बनती है:—

लगातार.....

कम संख्या	श्रेणी	पद / योग्यता	मूल वेतन (अधिसूचना	दिनांक 01.01.2023	मंहगाई भत्ता	दिनांक 01.07.2023	दैनिक वेतन	
			दिनांक 21.10.2015 के अनुसार) (रू0)	से लागू न्यूनतम वेतन (रू०)	01.07.2023 से लागू (रू0)	से लागू न्यूनतम वेतन (रू०)	()	
1.	अकुशल	1	7600.00	(क) 10532.84	<b>(ख)</b> 128.44	(क+ख) 10661.28	(रू0) 410.05	
	अर्धकुशल (ए)		7980.00	11059.44	134.86	11194.30	430.55	
2.	(बी)		8379.00	11612.40	141.60	11754.0	452.08	
3.	कुशल (ए)		8797.95	12193.03	148.68	12341.71	474.68	
	(बी)		9237.85	12802.69	156.12	12958.81	498.42	
4.	उच्च कुशल		9699.74	13442.82	163.93	13606.75	523.34	
5.	लिपिकीय तथा सामान्य स्टाफ	(i) मैट्रिक से कम	7980.00	11059.44	134.86	11194.30	430.55	
		(ii) मैट्रिक लेकिन स्नातक नहीं	8379.00	11612.40	141.60	11754.0	452.08	
		(iii) स्नातक या ऊपर	8797.95	12193.03	148.68	12341.71	474.68	
		(iv) स्टेनो टाईपिस्ट	8379.00	11612.40	141.60	11754.0	452.08	
		(v) कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	8797.95	12193.03	148.68	12341.71	474.68	
		(vi) वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक	9237.85	12802.69	156.12	12958.81	498.42	
		(vii) निजी सहायक	9699.74	13442.82	163.93	13606.75	523.34	
		(viii) निजी सचिव	10184.73	14114.97	172.12	14287.09	549.50	
6.	डाटा एन्टरी आपरेटर		8797.95	12193.03	148.68	12341.71	474.68	
7.	चालक	हल्का वाहन	9237.85	12802.69	156.12	12958.81	498.42	
		भारी वाहन	9699.74	13442.82	163.93	13606.75	523.34	
8.	सुरक्षाकर्मी	बिना शस्त्र	7980.00	11059.44	134.86	11194.30	430.55	
		शस्त्र सहित	9237.85	12802.69	156.12	12958.81	498.42	
9.	सुरक्षा निरीक्षक / सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा सुपरवाईजर	माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019, जो कि Civil Appeal No. 2539 of 2010 titled as 'Hindustan Sanitaryware and Industries Limitd and others versus State of Haryana and Civil Appeal No. 4454 of 2019 titled as 'Faridabad Industries Association Versus State of Haryana and another' के निर्णय अनुसार इस श्रेणी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन निर्धारित करने वाली अधिसूचना से निकाल दिया गया है।						
10.	सफाई कर्मचारी किसी भी नियोजन में	माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार, जो कि CWP No. 25328 of 2015 titled as 'Gurugram Industrial Association and an3 other Versus State of Haryana के द्वारा इस श्रेणी के कर्मचारियों को अनुसूचित नियोजनों की सूची में होना अनुचित ठहराया है। अतः इस श्रेणी की न्यूनतम आय अधिसूचित नहीं की जा रही है। परन्तु विभिन्न नियोजनों में कार्यरत सफाई कर्मचारी दिनांक 21.10.2015 की अधिसूचना जारी होने से पहले की भांति न्यूनतम वेतन पाने की हकदार रहेंगें।  कर्मचारियों से पूर्व में दिये गये वेतन से कोई वसूली नहीं की जायेगी।						
नोट:-	- कम संख्या 10 के	कर्मचारियों से पूर्व में दिर	ये गये वेतन से व	गेई वसूली नहीं	की जायेगी।			

लगातार.....

उपरोक्त के अतिरिक्त दिनांक 01.07.2023 से ईट भटठा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के मूल वेतन में 1.69 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई है। अब दिनांक 01.07.2023 से हरियाणा राज्य में ईट भटठा उद्योग में भी विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन के दरें निम्न प्रकार से देय बनती है:—

क0 सं0	कर्मचारियों का प्रवर्ग	ईट प्रति एक हजार	टाईल प्रति एक हजार		
1.	पथेरा	607.42 रूपये	683.35 रूपये		
2.	भराई वाला(भट्ठें में ईटों की भराई)	(क) 273.30 रूपये प्रति हजार ईट भट्ठे में भरना परन्तु खेत से भट्ठे तक की दूरी 400 मीटर तक हो। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 24.23 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 100 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी। यह दरें केवल गधे/खच्चर की पीठ पर लादकर भरने वालों पर ही लागू होंगी। (ख) एक हजार मीटर दूरी तक 224.69 रूपये टैम्पू या पशु चलित रेहड़ी या किसी अन्य यान्त्रिक चलित वाहन से ईटे भट्ठों से भरना। इस दूरी से अधिक अतिरिक्त मजदूरी 24.23 रूपये प्रति हजार प्रत्येक 500 मीटर या इसके भाग पर दी जायेगी।			
3.	कैरीवाला	48.54 रूपये प्रति एक हजार ईट			
4.	निकासी वाला	200.41 रूपये प्रति एक हजार ईट			
5.	चुनाई वाला	12341.71 रूपये प्रति मास			
6	मिस्त्री / कोलमैन / जलाई वाला 12341.71 रूपये प्रति मास				

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि आप अपने–2 क्षेत्रों के प्रबन्धकों से उक्त निर्धारित दरों को

पूर्ण लागू करवायें तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाना सुनिश्चित करें।

पृष्ठांकन कमांकः आई०आर०-2/2023/22110-116

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा। दिनांकः 28/03/2-1

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है :-

1. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ।

2. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री को माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, हरियाणा के सूचनार्थ

3. निजी सचिव, श्रम व रोजगार मंत्री को माननीय श्रम व रोजगार मंत्री महोदय हरियाणा के सूचनार्थ।

4. निजी सचिव, सचिव, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, भारत सरकार श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।

5. निजी सचिव प्रधान सचिव, श्रम विभाग को प्रधान सचिव (श्रम) हरियाणा सरकार, श्रम विभाग के सूचनार्थ।

6. निजी सचिव श्रम आयुक्त को श्रम आयुक्त, हरियाणा के सूचनार्थ।

7. निदेशक सूचना, लोक सम्पर्क एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ विभाग, हरियाणा को सूचनार्थ।

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

Jr. Cc (HO)

पृष्ठांकन कमांकः आई0आर0-2/2023/ 23117-520 दिनांकः 28/08/27

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

- 1. हरियाणा राज्य के सभी प्रशासनिक सचिव महोदय को।
- 2. हरियाणा राज्य में स्थित सार्वजनिक व प्राईवेट विश्वविधालयों के उप कुलपतियों व रिजस्ट्रार महोदय को।
- 3. हरियाणा राज्य के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को।
- 4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड, कॉरपोरेशन, निगम व सार्वजनिक उद्धमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य प्रशासकों को।
- 5. अतिरिक्त मुख्य कारखाना निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, हरियाणा।
- 6. हरियाणा राज्य के सभी संयुक्त निदेशक, उप निदेशकों व सहायक निदेशकों, औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, औद्योगिक स्वास्थ्य।
- 7. हरियाणा श्रम कल्याणा बोर्ड के उप श्रम आयुक्तों, कल्याण अधिकारियों व कल्याण निरीक्षकों को।

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

पृष्ठांकन कमांकः आई०आर०-2/2023/ 23521-720 दिनांकः 28/08/23 इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

1. हरियाणा राज्य में स्थित औद्योगिक एसोसिएशनों के पदाधिकारियों को।

2. हरियाणा राज्य में स्थित सभी पंजीकृत श्रम संघों के पदाधिकारियों को।

्री कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा।

1. आई०टी० सैल, श्रम विभाग को इस अनुरोध के साथ, कि वे इसे श्रम विभाग के विभागीय पोर्टल hry.labour.gov.in पर अपलोड करें।

कृतेः श्रम आयुक्त, हरियाणा न 318 123